न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह**
सदस्य

प्रकरण क्रमांक आर.एन./11–4/आर/38/93 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–11–92 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर म.प्र. प्रकरण कमांक अपील 111/अ–6/90–91.

मानसींग तनय बसंते कुर्मी,
निवासी रजवास तह. रहली जिला सागर ..... आवेदक

विरूद्ध

कुंवरमन तनय कन्छेदी कुर्मी,
निवासी रजवास तह. रहली
जिला सागर ..... अनावेदक

श्री आर.डी. शर्मा, अधिवक्ता, आवेदक.
अनावेदक –एकपक्षीय.

आदेश

(आज दिनांक 2-9 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक अपील/111–अ–6/90–91 में पारित आदेश दिनांक 17–11–92के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार, रहली के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया कि वह? मौजा रजवास तहसील रहली का खसरा नं. 25/2 का भूमिस्वामी काबिज काश्तकार है और इस भूमि की खरीद उसके पिता द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से 1947 में की गई थी । आवेदन में विक्रयपत्र में 2 आम के वृक्ष होनेका उल्लेख है परंतु खसरा पांचशाला में उक्त वृक्ष दर्ज नहीं हैं अतः दोनों वृक्षों का खसरे में उल्लेख किया जाये । इस आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध

कर नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 3.5.90 द्वारा आमे के वृक्षों का उल्लेख वादग्रस्त भूमि में एि जाने का आदेशदिया । इसके विरूद्ध आवेदक नेएस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जो खारिज की गई । द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गए । उनके द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण प्रकरा में एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि पर आम के वृक्षों का उल्लेख खसरा 5 साला में न होने के आधार पर प्रारंभ किया गया है और नायब तहसीलदार ने प्रकरण में जांच करके अपना आदेश दिनांक 3–5–90 के द्वारा वादग्रस्त आम के वृक्षों की प्रविष्टि आलोच्य भूमि पर किए जाने के आदेश दिये जिसे प्रथम एवं द्वितीय अपील में स्थिर रखा गया है । अपर आयुक्त ने यह पाया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर समवर्ती हैं और उन्होंने यह भी माना कि तहसील न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य से यह सिद्ध है कि आम के वृक्ष रखवारी के लिए दिए गए थे सामान्यतः वृक्षों पर हक भूमिस्वामी का होता है और तकनीकि बिंदुओं के आधार पर भूमिस्वामी को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और इस कारण अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील को निरस्त किया है । अभिलेख को देखने से अपर आयुक्त के आदेश की पुष्टि होती है और प्रकरण में ऐसा कोई बिंदु नहीं बताया गया जिसके आधार पर प्रकरण में हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्याालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर